

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Misc(Pet.) No. 9209/2025

1. Mohammad Hatim Khan S/o Javed, Aged About 21 Years, Resident Of 1125, Khwajabagh, Sawa, District Chittorgarh, Rajasthan.
2. Sohail Khan S/o Sabir Khan, Aged About 24 Years, Resident Of Kajodpura, Sawa, District Chittorgarh, Rajasthan.
3. Mohammad Afzal Khan S/o Mohammad Saeed Khan, Aged About 21 Years, Resident Of Kajodpura, Sawa, district Chittorgarh, Rajasthan
4. Balram Singh Rathore S/o Ajit Singh, Aged About 24 Years, Resident Kanota, District Jaipur.

-----Petitioners

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Pp
2. Pramod Kumar S/o Unknown, Resident Of Bhupkheda, Bahrar, District Kotputli-Behror, Presently Residing Atpratap Nagar, District Bhilwara, Rajasthan.

-----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Zeeshan Ali
Mr. Aslam Khan

For Respondent(s) : Mr. Ramesh Dewasi, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

28/10/2025

विद्वान अधिवक्ता याचीगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस मामले में स्कोर्पियो गाड़ी पुलिस कांस्टेबल पर चढ़ाने का आरोप है। स्कोर्पियो गाड़ी का चालक साहिल था, जो पुलिस में आत्मसमर्पण कर चुका है। याचीगण को इस मामले में पुलिस द्वारा बिना किसी आधार के तंग, परेशान किया जा रहा है। याचीगण अनुसंधान में सहयोग करने को तैयार हैं। विद्वान अधिवक्ता याचीगण ने याचीगण की गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने व केस डायरी तलब किए जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक ने इसका विरोध किया।

मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया।

याचीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुसंधान में सहयोग करेंगे।

अनुसंधान अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि याचीगण को आगामी तारीख पेशी तक पुलिस थाना प्रतापनगर, जिला भीलवाड़ा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 534/2025 में गिरफ्तार नहीं करे।

विद्वान लोक अभियोजक को केस डायरी तलब किए जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

प्रकरण तीन सप्ताह पश्चात सूचीबद्ध हो।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

182-GauravG/-